:: कार्यालय ज्ञाप ::

सचिव, उत्तराखण्ड शासन द्वारा कार्यालय ज्ञाप संख्या 1737/VIII/16–31(श्रम)/2015, दिनांक 31 जनवरी, 2016 एवं कार्यालय ज्ञाप संख्या 175/VIII/16–31(श्रम)/2015, दिनांक 02 मार्च, 2016 के माध्यम से कारखानों/वाणिज्यिक स्थापनाओं के लिए स्वैच्छिक अनुपालन योजना (VCS) के सम्बन्ध में निर्देश जारी किये गये हैं।

उपरोक्त के सम्बन्ध में सूच्य है कि जो कारखाने/वाणिज्यिक प्रतिष्ठान उक्त योजना में शामिल नहीं होंगे उन कारखानों/वाणिज्य प्रतिष्ठान पर भी वार्षिक रिटर्न, एकीकृत पंजिका, निरीक्षण प्रक्रिया लागू होगी।

निरीक्षण प्रक्रिया पूर्णतया कम्प्यूटरीकृत होगी। निरीक्षण हेतु निरीक्षक भी कम्प्यूटर द्वारा ही निर्धारित होंगे। निरीक्षण प्रक्रिया उच्च, मध्यम तथा निम्न संवेदनशीलता के आधार पर होगी। निरीक्षण हेतु निर्धारित कारखाने/वाणिज्यक प्रतिष्ठान का निरीक्षण यदि किसी कारणवश दुबारा होता है तो निरीक्षक वहीं नहीं होगा बल्कि कोई अन्य होगा। लघु संवेदनशीलता वाले प्रतिष्ठान स्व. प्रमाणीकरण तथा श्रम अधिनियमों के संतोषजनक परिपालन इतिहास के आधार पर उन्हें निरीक्षण से छूट प्रदान की जायेगी। जिन कारखानों/प्रतिष्ठान का निरीक्षण किया जायेगा, उनकी रिपोर्ट विभागीय वेबसाईट पर लॉग इन करने के बाद देखी जा सकेगी तथा यूजर उसे डाउनलोड भी कर सकते हैं।

स्वैच्छिक अनुपालन योजना (VCS) में शामिल उद्यमियों को निर्धारित समय सीमा के पश्चात् सुरक्षा निधि वापसी योग्य (Refundable) होगी।

खतरनाक/अति खतरनाक कारखानों से तात्पर्य कारखाना अधिनियम, 1948 में पारिभाषित उद्योगों की उक्तानुसार श्रेणियों से है।

एकीकृत वार्षिक रिटर्न जिला श्रम कार्यालय/क्षेत्रीय श्रम कार्यालय/सहायक निदेशक कारखाना तथा उप निदेशक, कारखाना कार्यालय में जमा कराए जा सकते हैं।

यदि उपरोक्त प्रक्रिया किसी स्तर पर निर्धारित समय में पूर्ण नहीं होती है तो सम्बन्धित प्रकरण उच्च अधिकारी के पास पहुंच जाएगा तथा वे आवश्यक कार्यवाही करेंगे।

उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

(डा० आनन्द श्रीवास्तव)
श्रम आयुक्त, उत्तराखण्ड,
हल्द्वानी।

कार्यालय–श्रम आयुक्त, उत्तराखण्ड, श्रम भवन, नैनीताल रोड, हल्द्वानी।

संख्या 1523 /मु0-विविध/2016 दिनांक 6 ~~मार्च~~ अप्रैल, 2016

प्रतिलिपि ::–

1: सचिव, श्रम, उत्तराखण्ड शासन की सेवा में सूचनार्थ प्रेषित।

2: अपर श्रम आयुक्त, उत्तराखण्ड, देहरादून को उपरोक्तानुसार सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

3: समस्त उप श्रम आयुक्त, कुमाऊं क्षेत्र/गढ़वाल क्षेत्र, उत्तराखण्ड को उपरोक्तानुसार सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

4: समस्त सहायक श्रम आयुक्त, कुमाऊं क्षेत्र/गढ़वाल क्षेत्र, उत्तराखण्ड को उपरोक्तानुसार सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

5: समस्त श्रम प्रवर्तन अधिकारी, कुमाऊं क्षेत्र/गढ़वाल क्षेत्र, उत्तराखण्ड को उपरोक्तानुसार सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

6: उप निदेशक कारखाना/ब्वायलर, हल्द्वानी/सहायक निदेशक, कारखाना/ब्वायलर, देहरादून को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(डा० आनन्द श्रीवास्तव)
श्रम आयुक्त, उत्तराखण्ड,
हल्द्वानी।